

06.05.2022 - पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

राजिंदर कल्लर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

